

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 235] No. 235] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2017/ चैत्र 7, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2017/CHAITRA 7, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2017

सा.का.नि. 294(अ).—जब कि निर्दिष्ट कतिपय श्रम संबंधी विधियों की अपेक्षाओं की सुगमता और समीचीन अनुपालन के लिए और प्ररूपों तथा रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के प्रयोजनार्थ ताकि विश्वास पर आधारित दक्ष लोक सेवा परिदान की व्यवस्था की जाए, के लिए एक पृथक नियम बनाना आवश्यक है;

और जब कि संयुक्त और सरलीकृत प्ररूपों तथा रिपोर्टों की उप सेवा करने का आशय उक्त श्रम विधियों और उनके अधीन बनाए गए नियमों को जिनमें प्रारूपों और रिपोर्टों के उपयोग हेत् उपबंध किए गए हैं, इलैक्ट्रानिक रूप या अन्यथा बनाना है;

और जब कि इन नियमों के अधीन उपबंधित सम्मिलित और सरलीकृत प्ररूप संकलन और यथासंभव सरल के रूप में निरीक्षण तथा बढ़ती पारदर्शिता द्वारा जनता के लिए सुगम पहुंच के अधीन दी गई सूचना को सुकर बनाएगा;

प्रारूपों के उपयोग और सरल विधियों से संबंधित विभिन्न श्रम के अधीन उपबंधित रिपोर्ट ऊपर उल्लिखित प्रयोजन के लिए पृथक नियम को फायदा होगा, जिसे बेहतर रूप में जनता के प्रयोजन की सेवा करेगा;

और जब कि उपर्युक्त प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए प्रारूप नियम अर्थात् कितपय श्रम विधि के अधीन प्रारूपों और रिपोर्टों का सुव्यवस्थीकरण नियम, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में श्रम और रोजगार मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 116(अ) तारीख 9 फरवरी द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन सभी, व्यक्तियों को आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे जिनके उससे प्रभावित करने की संभावना है, उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जिस पर तारीख से तीस दिन की अविधि की समाप्ति के पूर्व जनता द्वारा उपलब्ध करा दी थीं,

और जब कि उक्त राजपत्र की प्रतियां 9 फरवरी, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियम पर जनता की ओर से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अत: अब, उपर्युक्त प्रयोजनों की प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए--

1729 GI/2017 (1)

- (क) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35;
- (ख) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30); और
- (ग) भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 62 और विशेषज्ञ समिति से परामर्श करने के पश्चात् ;

सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की अध्याय 3 के साथ पठित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

प्रारूप नियम

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कतिपय श्रम विधि के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विधियों से संबंधित कतिपय श्रम के अधीन प्ररूपों का अनुरक्षण.—(1) किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उसके अधीन—
- (i) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37);
- (ii) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) और ;
- (iii) भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 ; (1996 का 27)
- इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्ररूपों में अनुरक्षित रजिस्टर या तो इलैक्ट्रानिक रूप में अन्यथा बनाए जाएंगे तथा इनके अधीन बनाए गए पूर्वोक्त अधिनियमिताओं और नियमों, जो इसमें निर्दिष्ट हैं, के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाएंगे।
- (2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप उक्त उपनियम में निर्दिष्ट अधिनियमितियों में से किसी अधिनियमितियों के अधीन संबद्ध निरीक्षण अपेक्षित होता है तो, यथास्थिति, संबंधित व्यक्ति सूचना को सुगम बनाने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक ऐसे प्ररूपों को उपलब्ध कराएगा या आवश्यक विशिष्टियों का उपबंध करेगा।
- 3. कितपय नियमों का संशोधन.—निम्नलिखित नियमों में उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे संशोधन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे विनिर्दिष्ट रीति में ऐसा संशोधन किया जा सकेगा, अर्थात् :--
- (i) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971
- (अ) नियम 18 में—
- (क) उपनियम (1) में, "प्ररूप ।। में" शब्द और अंक "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप 1 में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ख) उपनियम (2) के खंड (क) में "और पता" शब्दों का लोप किया जाएगा ;
- (आ) नियम 21 में,--
- (क) उपनियम (1) में, "प्ररूप IV में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सूव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप 2 में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ख) उपनियम (2) में, "प्ररूप V में" शब्द और अंक के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सृव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप
- III" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (इ) नियम 24 के उपनियम (1क) में, "प्ररूप 5क में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप V में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

- (ई) नियम 25 में,--
- (क) उपनियम (1) में, "प्ररूप VI में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सूव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप VI में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ख) उपनियम (2) में,--
- (i) "खंड (IV) में" शब्दों के पश्चात् "परिनिर्धारण या अधिनिर्धारण "समुचित सरकार द्वारा या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) खंड (viii) में, "प्ररूप VI क में" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सूव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप VII" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (उ) नियम 29 के उपनियम (2) में, "प्ररूप VII में" शब्द और अंक के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सृव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप II" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ऊ) नियम 32 का लोप किया जाएगा;
- (ऋ) नियम 76 के खंड (i) में, "प्ररूप XIV" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सूव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप VII में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ए) नियम 77 में, "प्ररूप XV" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप VIII में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ऐ) नियम 81 के उपनियम (3) में, "प्ररूप VIख" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप VII में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; और
- (ओ) प्ररूप II, IV, V, Vक, VI, VIक, VIख, VII, VIII, IX, X, XI, XIV और प्ररूप XV का लोप किया जाएगा ;
- (ii) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) केंद्रीय नियम, 1980,--
- (अ) नियम 4 के उपनियम (1) में, "प्ररूप II में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप I में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (आ) नियम 7 में,--
- (क) उपनियम (1) में, "प्ररूप IV में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सूव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप II में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ख) उपनियम (2) में, "प्ररूप V में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप II में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ग) उपनियम (3) के खंड (i) में, "प्ररूप IV" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध V में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (इ) नियम 10 के उपनियम (3) में, "प्ररूप VII" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सृव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध V में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ई) नियम 11 में,--
 - (क) उपनियम (1) में, "प्ररूप VIII में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सूव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप VI में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
 - (ख) उपनियम (2) के खंड (v) "परिनिर्धारण और अधिनिर्णय" शब्दों के पश्चात् "या समुचित सरकार द्वारा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

- (उ) नियम 14 के उपनियम (2) में, "प्ररूप IX में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप II में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ऊ) नियम 21 के उपनियम (1) में, "प्ररूप X में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप X में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ऋ) नियम 24 में, "प्ररूप XI में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सूव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप X में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ए) नियम 50 में, "प्ररूप XIV में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप VIII में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ऐ) प्ररूप II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI और XIV का लोप किया जाएगा ;
- (iii) भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) केंद्रीय नियम, 1988 में—
- (अ) नियम 24 के उपनियम (1) में, "इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप II में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सृव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप I में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (आ) नियम 26 के उपनियम (3) में, "इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप VII में" शब्द और अंक रखे जाएंगे शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप IV में" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (इ) नियम 74 के उपनियम (ख) में,--
- (क) खंड (i) में,
 - (I) उप खंड (क) में, "इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप V में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप IV में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
 - (II) उप खंड (ख) में, "इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप VI में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप IV में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ख) खंड (ii) में, "इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप VII में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप IV में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ग) खंड (ii) में, "इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप VIII में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप IV में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (घ) खंड (iv) में, "इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप IX में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप IV में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ई) नियम 210 के उपनियम (7) में, "प्ररूप XIV में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप XI में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (उ) नियम 233 के खंड (ग) में, "इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप XI में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप IX में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ऊ) नियम 230 के खंड (क) में, "इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप XIII में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप IX में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ऋ) नियम 239 के उपनियम (1) में, "इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप IV में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप VII में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

- (ए) नियम 241 के उपनियम (2) में, खंड (ख) में, "इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप XXIV" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप VIII में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ऐ) प्ररूप II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV और प्ररूप XXIV लोप किया जाएगा ।

अनुसूची

[नियम 2 (1) देखें]

प्ररूप ।

[ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 18(1); भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 24(1) तथा अंतरराज्यिकप्रवासी कर्मकार(रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1980 के नियम 4(1) के अंतर्गत]

प्रधान नियोक्ता/नियोक्ता का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र*

ताराख												

भारत सरकार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

- 1. प्रधान नियोक्ता के स्थापन में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति।
- 2. ठेकेदारों के नाम*
- 3. ठेकेदारों की एलआईएन/पीएएन संख्या*
- 4. ठेकेदारों की ई-मेल आईडी*
- 5. ठेकेदारों की मोबाइल संख्या*
- 6. ठेकेदार/नियोक्ता* के कार्य की प्रकृति जिसमें कर्मकार/भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार* को नियोजित किया गया है या नियोजित किया जाना है।
- 7. भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा नियोजित किए जाने वाले भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार/ ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय अधिनियम, 1970 (1970 का 37) अथवा अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30)* के अंतर्गत प्रत्येक ठेकेदार के माध्यम से किसी दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मकार की अधिकतम संख्या

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे कृपया काट दें।

प्रपत्र II

[ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 21(1) और नियम 29(2); तथा अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1980 के नियम 7(2) और नियम 14(2) के अंतर्गत] ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37)/अंतरराज्यिक प्रवासी का कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979(1979 का 30)* के अंतर्गत अनुज्ञप्ति का आवेदन/अनुज्ञप्ति का नवीकरण:

क. ठेकेदार का विवरण

- 1. ठेकेदार का नाम:
- 2. ठेकेदार की एलआईएन/पीएएन संख्या: 3.
- 3. ठेकेदार की ई-मेल आईडी:
- 4. ठेकेदार की मोबाइल संख्या:

ख. केवल अनुज्ञप्ति के आवेदन के मामले में भरे जाने वाला ब्यौरा*

स्थापन जहाँ कर्मकार की विशिष्ट या नियोजित किया जाना है -

- (क) प्रधान नियोक्ता का नाम:
- (ख) अधिनियम के अधीन स्थापन के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख:

ठेका श्रमिकों की विशिष्टियां –

- (क) कार्य की प्रकृति जिसमें कर्मकार को प्रतिस्थापन में नियोजित किया गया है या नियोजित किया जाना है:
- (ख) प्रस्तावित ठेका कार्य की अवधि (कृपया प्रारंभ और समाप्ति की प्रस्तावित तारीख की विशिष्टियां दें):
- (ग) कार्य-स्थल पर ठेकेदार के एजेन्य या प्रबंधक का नाम और पता;
- (घ) स्थापन में किसी तारीख को नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित कर्मकार की अधिकतम संख्या:
- (ङ) क्या प्रधान नियोक्ता का प्रमाण-पत्र प्ररूप-3 में संलग्न है:

ग. केवल अनुज्ञप्ति के नवीकरण के आवेदन के मामले में ही भरे जाने वाला ब्यौरा*

- (क) अनुज्ञप्ति की संख्या और तारीख:
- (ख) अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख:

घ. अनुज्ञप्ति फीस और प्रतिभूत निक्षेप का ब्यौरा

- (क) अनुज्ञप्ति फीस की राशि, बैंक का नाम, डिमांड ड्राफ्ट की संख्या तथा अधिसूचित बैंक खाते में राशि जमा किए जाने के मामले में तारीख/संव्यवहार की संख्या और तारीख
- (ख) प्रतिभूत निक्षेप की राशि, बैंक का नाम, डिमांड ड्राफ्ट की संख्या तथा अधिसूचित बैंक खाते में राशि जमा किए जाने के मामले में तारीख/संव्यवहार की संख्या और तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर (ठेकेदार)

स्था	न						
तार्र	ोख						
*जो	ला	गू न	हो उर	वे कृप	ाया व	नट दे	ŧ۱

(अनुज्ञापन अधिकारी के कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

फीस/प्रतिभूत निक्षेप के साथ आवेदन की प्राप्ति की तारीख

अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र-III

[ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 21(2); तथा अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1980 के नियम 7(3) के अंतर्गत]

प्रधान नियोक्ता के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

	\sim			20
प्रमा	ाणत	ाकया	जाता	है कि:

- 1. मैंने (तारीख) ------ तक किए जाने वाले ------- से (तारीख)------ कार्य के लिए अपने स्थापन में ठेकेदार के रूप में आवेदक (ठेकेदार का नाम) को नियुक्त किया है।
- 2. मैं अपने स्थापन में आवेदक द्वारा किए जाने वाले ठेका श्रमिकों/अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों* के नियोजन के संबंध में मुझ पर उपबंधों के लागू होने तक ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971*/अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) तथा अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1980* के सभी उपबंधों द्वारा प्रतिबद्ध होने का वचन देता हूँ।
- 3. उक्त कार्य में ठेका श्रमिकों की नियुक्ति ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 10 की उप-धारा (1) अथवा पंचाट या निपटान के अंतर्गत निषिद्ध नहीं है।*

प्रधान नियोक्ता के हस्ताक्षर

स्थापन का नाम और पता

स्थान				
तारीख	a			
*जो ल	गागू न ह	ो, उसे	कृपया र	काट दें।

प्ररूप – IV

[भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम 1988 के नियम 56, नियम 62, नियम 69, नियम 70, नियम 72, नियम 73,नियम 74(ख) तथा अनुसूची कि अंतर्गत]

विभिन्न साधित्रों के प्रारम्भिक तथा आवधिक परीक्षण और जांच का प्रमाण पत्र

(कृपया यथा लागू प्रष्टिष्टियां भरें)

- 1. कार्य की प्रतिस्थिति
- 2. भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख

क्र. सं.	साधिज्ञ प्रवर्ग	परीक्षण प्रमाण पत्र संख्या तथा परीक्षण की तारीख	विभिन्न संख्याओं अथवा अंकों के साथ परिस्थिति और विवरण	परीक्षण एंव जांच के मापदंड*	दिया गया परीक्षण लोड	स्तंभ 3 में दिए गए मापदण्डों के अनुसार सुरक्षित कार्यभार	विशिष्ट विवरण	परीक्षण और जांच करने वाले लोक सेवा संघ, कंपनी अथवा फर्म अथवा परीक्षण स्थापना	लोक सेवा संगम, कंपनी अथवा फर्म अथवा परीक्षण स्थापना के सक्षम व्यक्ति का नाम तथा धारितपद
						(टन)		का नाम व पता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विंचेज, डेरिक्स तथा उनकी एक्सेसरीगियर (लिफ्टिंग उपकरण और गियर) [भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन काविनियमन				(टन में)				

	और सेवाशर्तें) केन्द्रीय				
	नियम 1988 के नियम				
	56तथा नियम 74(ख) उप				
	अनुसूची l]				
2	क्रेंस अथवा होइस्ट्स तथा		(मीटर में)		
	उनकी एसेसरी गियर				
	[भवन और अन्य सन्निर्माण				
	कर्मकार (नियोजन काविनियमन और				
	काविनियमन और सेवाशर्तें) केन्द्रीय नियम				
	1988 के नियम 56 तथा				
	नियम 74(ख)]		. 50	.00 1	
3	लूजगियर (आवधिक		(टन में)	(विनिर्माता	
	परीक्षण के मामले में प्रारम्भिक परीक्षण और			अथवा आपूर्ति कर्ता	
	जांच प्रमाणपत्र संख्या			का नाम और	
	तथा तारीख दर्शाया			पता)	
	जानाहैं) [भवन और अन्य				
	सन्निर्माण कर्मकार				
	(नियोजन काविनियमन				
	और सेवाशर्तें) केन्द्रीय				
	नियम 1988 के नियम 70				
	तथा नियम 74(ख)]				
4	वायर रोप [भवन और	(विनिर्माता		(वायर की	
	अन्य सन्निर्माण कर्मकार	अथवा		गुणवत्ता तथा	
	(नियोजन काविनियमन	आपूर्तिकर्ता का नाम		वायररोप का वांछित	
	और सेवाशर्तें) केन्द्रीय	और पता)		प्रयोग)	
	नियम 1988 के नियम 71			74(4)	
	तथा नियम 74(ख)]				
5	लूज गियर्स की एनीलिंग			 (एनीलिंग के	
	[भवन और अन्य सन्निर्माण			पश्चात	
	कर्मकार (नियोजन का			निरीक्षण में पाई गई	
	विनियमन और सेवाशर्तें)			पाइ गइ कमियां)	
	केन्द्रीय नियम 1988 के			(11.1.41)	
	नियम 72 तथा नियम				
	74(ख)]				
6	एनीलिंग से छूट प्राप्त लूज			 (अभ्युक्तियां)	
	गियर्स [भवन एवं अन्य				
	सन्निर्माण कर्मकार				
	(नियोजन काविनियमन				
	और सेवाशर्तें) केन्द्रीय				
	नियम 1988 के नियम 69				
	तथा नियम 73]				

^{*} उपर्युक्त स्तंभ (2) में उल्लिखित प्रवर्ग से संबंधित विशिष्ट मापदण्ड नीचे उनकी क्रम संख्या के सामने दर्शाए गए अनुसार हैं :-

<u>क्र.सं.</u> <u>मापदण्ड</u>

- 1. डेरिक बूम के होरिजेंटल पर कोण जिस पर परीक्षण लोड लागू किया गया था।
- 2. जिब क्रेन्स-रेडियस के लिएजिस पर परीक्षण लोड लागू किया गया था।
- 3. परीक्षित लूज गियर्स की संख्या तथा सामग्री
- 4. (क) रस्सी की परिधि / व्यास (ख) स्ट्रंड की संख्या (ग) वायर प्रति स्टेंड की संख्या (घ) ले (ङ) कोर
- 5. एनील किए गए लूज गियर्स की संख्या एनीलिंग की तारीख के साथ
- 6. प्रारम्भिक तथा आवधिक परीक्षण और जांच प्रमाण पत्र की संख्या

[भाग II-	-खण्ड 3(i)]		भारत व	ता राजपत्र : असाधारण		9
					ही हैं तथा मेरी उपस्थिति में प करने वाली कोई कमियां नहीं प	
मोहर के	साथ सक्षम व्य	क्ति के हस्ताक्षर	••••			
सक्षम व्य	क्ति की रजिस्टी	ोकरण/प्राधिकारी संख्या			तारीख	
X131.1 1	×			प्रपत्र V		
	[ठेका श्रम (वि	ोनियमन और उत्सादन)	केन्द्रीय नियम	म,1971 के नियम 24 (1-क)	तथा अंतर-राज्यिक प्रवासी क	र्मकार (नियोजन
का विनिय	यमन और सेवा	शर्तें) केन्द्रीय नियम,19 ग		10 (3) के अंतर्गत] <mark>ा के समायोजन के लिए आवेद</mark> न	-	
1.	ठेकेदार का न		ातभूति । गर्भाः	न मः समायाजगं मः ।शाष्ट्र जायदः	1	
2.	ठेकेदार का ए	लआईएन/पैन संख्या:				
3.	ठेकेदार की ई-	-मेल आईडी:				
4.	ठेकेदार की म	ोबाइल सं.:				
5.	प्रधान नियोत्त	ा की नाम:				
6.	प्रधान नियोत्त	काका एलआईएन/पैन संख्	<u>ज्या</u> :			
7.	प्रधान नियोत्त	n की ई-मेल आईडी:				
8.	प्रधान नियोत्त	ा की मोबाइल सं.:				
9.	प्रतिभूति निक्षे	ाप का ब्यौरा:				
अनुज्ञप्ति की सं. और तारीख	अनुज्ञप्ति के समाप्त होने की तारीख	क्या ठेकेदार का पुरानाअनुज्ञप्ति निलंबित अथवा नवीकृतकिया गया था?	पुरानी प्रतिभूति निक्षेप की राशि	शेष प्रतिभूति जमा यदि कोई हो तो डिमांड ड्राफ्ट/विनिमय पर्ची जमा किए जाने की राशि, संख्या और तारीख	उस स्थापन के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख जिसके संबंध में पुन: अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है	नये ठेका कार्य का नाम और स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्थान: तारीख:				्र प्रपत्र VI	आवेदक की मुहर	∐
	[ठेका श्रम (वि	नियमन और उत्सादन)	केन्द्रीय नियम		ा अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मक	ार (नियोजन का
विनियमन	न और सेवा शरे	र्तें) केन्द्रीय नियम,1980	के नियम 11	(1) के अंतर्गत]		
				भारत सरकार		
			अनुज्ञापन	न अधिकारी का कार्यालय		
3 	÷			अनुज्ञप्ति		
अनुज्ञप्ति					तारीख	
	स रुपये रेपये		·········· >	- 1		o (4)
1. अंतर्राज्यि	ŭ	,	•	,) का 37)की धारा 12 की उप- 979 का 30)* की धारा 8 की	, ,
अंतर्गत अं	ौर अनुबंध में ि	वेनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यर्ध	ोन	को प्रदान किया जाता है।		

- 2. कार्यस्थल का नाम-----
- प्रधान नियोक्ता का नाम
- 4. प्रधान नियोक्ता की रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख
- 5. यह अनुज्ञाण्ति ----- तक प्रवृत्त रहेगा (तारीख उपदर्शित किया)
- 6. अनुज्ञाण्ति के अंतर्गत किसी कार्य दिवस को नियोजित किए जाने वाले ठेका श्रमिक/प्रवासी कर्मकार की अधिकतम संख्या:

तारीख -----

अनुज्ञापन अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

नवीनीकरण

[ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम,1971 के नियम 29 तथा अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम,1980 के नियम 14 के अंतर्गत]

नवीनीकरण की तारीख नवीनीकरण के लिए समाप्त होने की तिथि अनुज्ञापन प्राप्ति अधिकारी संदत्र किया गया फीस की मुहर और हस्ताक्षर

1.

2.

3.

* जो लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।

उपबंध

अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:

- यह अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय होगा।
- 2. किसी स्थापन में ठेका श्रमिक/प्रवासी कर्मकार के रूप में नियोजित कर्मकार की संख्या किसी कार्य दिवस को, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।
- 3. अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए नियमों में यथा प्रदत्त के अलावा अनुदान के लिए यथास्थिति जमा किया गया शुल्क अथवा प्रतिदाय बिना किया जाएगा।
- 4. नियमों में यथा उपबंधित के सिवाएं ठेकेदार द्वारा कर्मकार को भुगतान की जानी वाली मजदूरी की दरें, जहां लागू हो, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का 11)के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन के लिए विहित दरों, और जहां मजदूरी की दरें करार, व्यवस्था, पंचाट अथवा समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों, यथा-निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी।
- 5.(क) ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कर्मकार के मामले में, जब वह किसी स्थापन के प्रधान नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित किसी कर्मकार के समान अथवा समान प्रकृति का कार्य करता है तो ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार के लिए मजदूरी की दरें, अवकाश, कार्य के घंटे तथा अन्य सेवा शर्तें किसी स्थापन के प्रधान नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित किसी कर्मकार के समान अथवा समान प्रकृति का कार्य करने वाले कर्मकार के समान होंगी; बशर्ते कि किसी मामले में असहमति होने पर कार्य के स्वरुप के संबंध में उप-मुख्य श्रमायुक्त (कें.) का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- (ख) अन्य मामलों में ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार के लिए मजदूरी की दरें, अवकाश, कार्य के घंटे तथा अन्य सेवा इस संबंध में उप-मुख्य श्रमायुक्त (कें.) द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट के अनुरुप निर्धारित होंगी।

- 6. प्रत्येक ठेका श्रमिक/प्रवासी कर्मकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970 (1970 का 37) अथवा अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम,1979(1979 का 30) और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा विहित भत्तों, फायदों एवं सुविधाओं आदि का पात्र होगा।
- 7. प्रत्येक स्थापन में जहां 20 अथवा अधिक महिलाएं साधारणत: नियोजित हों वहां छ: वर्ष से कम आयु के उनके बच्चों के उपयोग के लिए बड़े आकार के दो कमरों की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे कमरों में से एक बच्चों के खेलने के लिए तथा दूसरा बच्चों के शयन कक्ष के रुप में होगा। इस उद्देश्य के लिए ठेकेदार खेल कक्ष में पर्याप्त संख्या में खिलौने तथा खेल सामग्री की आपूर्ति करेगा तथा शयन कक्ष में बिस्तरों की पर्याप्त संख्या की भीव्यवस्था करेगा। बाल गृहों के निर्माण और रख-रखाव के मानक इस संबंध में उप-मुख्य श्रमायुक्त (कें.) द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट के अनुरुप निर्धारित होंगे।
- 8. कोई भी स्त्री किसी ठेकेदार द्वारा प्रात: 6.00 बजे से पूर्व अथवा 7.00 बजे सायं के पश्चात नियोजित नहीं की जाएगी:

परंतु यह खंड पिट हेड बाथ, बालगृह तथा कैंटीनों और अस्पतालों और औषधालयों में धायी और नर्सों के रुप में कार्य करने वाली महिलाओं पर लागू नहीं होगा।

- 9. अनुज्ञापन धारक व्यक्ति कर्मकार की संख्या अथवा कार्य की शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अनुज्ञापन अधिकारी को देगा।
- 10. उस भवन में जहां ठेका कार्य किया जा रहा हो, अनुज्ञप्ति की एक प्रति मुख्य रुप से दर्शाई जाएगी।
- 11. अधिनियम के सभी उपबंधों और और इनके नियमों का ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जाएगा।
- 12. अनुज्ञप्ति धारी व्यक्ति प्रत्येक ठेका कार्य के आरम्भ होने तथा समाप्त होने के 15 दिन के भीतर एक विवरणी ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37)की धारा 28 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसमें प्ररूप I में उल्लिखित ठेका कार्य के आरम्भ होने तथा समाप्त होने की वास्तविक तारीख यथास्थित हो, संसूचना होगी।

प्ररूप VII

[ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम25(2)(viii)81(3); और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 26(3) तथा 239 (1) के अंतर्गत]

कार्य आरंभ करने/समाप्ति का नोटिस

- ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1970 (1970 का37)/भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन का और सेवा शर्तें) विनियमन अधिनियम, 1996 (1996 का 27)* के अंतर्गत *
- 2. एलआईएन/पैन संख्या*
- 3. ई-मेल आईडी*
- 4. मोबाइल संख्या*
- 5. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1970(1970 का37) (यदि लागू हो) के अंतर्गत ठेकेदार का नाम
- 6. एलआईएन/पैन संख्या
- 7. ईमेल आईडी-
- 8. मोबाइल संख्या
- 9. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र/ अनुज्ञप्ति की संख्या और तारीख जारी करने*
- 10. कार्य प्रभारी व्यक्ति का नाम
- 11. कार्य प्रभारी व्यक्ति का एलआईएन/पैन संख्या
- 12. कार्य प्रभारी व्यक्ति कीई-मेल आईडी

- 13. कार्य प्रभारी व्यक्ति की मोबाइल संख्या
- 14. किसी संयंत्र अथवा किसी भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य के मामले में उपलब्ध कराई गई मशीनरी सहित संलग्न कार्य की प्रकृति और सुविधाएं
- 15 किसी भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य के मामले में विस्फोटक यदि कोई हों, के भंडारण के लिए ठहराव

मैं/हम यह सूचित करते हैं कि [तारीख ------ के अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या ------]* के धारक ठेकेदार (ठेकेदार का नाम) को दिया गया कार्य (कार्य का नाम) -- -- -- आंरभ किया गया आरम्भ/समाप्ति की संभावना/(तारीख)से/(तारीख) तक होने की है।

प्रधान नियोक्ता/ठेकेदार/नियोक्ता का हस्ताक्षर*

सेवा में

निरीक्षक

*कृपया लागू न होने वाले को हटा दें।

प्ररुप VIII

[ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम , 1971 के नियम 77; भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998, के नियम 241(2)(ख); तथा अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम,1980 के नियम 50 के अंतर्गत]

सेवा प्रमाण-पत्र

- 1. ठेकेदार/नियोजक का नाम*:
- 2. ठेकेदार/नियोजक की लिन/पैन नं.*:
- 3. ठेकेदार/नियोजक की ई-मेल आईडी*:
- 4. ठेकेदार/नियोजक की मोबाइल नं.*:
- 5. कार्य की प्रकृति और प्रास्थिति :
- 6. प्रधान नियोक्ता का नाम*:
- 7. प्रधान नियोक्ता की लिन/पैन नं.*:
- 8. प्रधान नियोक्ता की ई-मेल आईडी*:
- 9. प्रधान नियोक्ता की मोबाइल नं.*:
- 10.कर्मकार या भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार का नाम*:
- 11.यूएएन/आधार नं.:
- 12.मोबाईल नं.:
- 13.कर्मकारों की रजिस्टर में क्रम संख्या:
- 14.रजिस्ट्रीकरण संख्या, तारीख तथा बोर्ड का नाम यदि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार का यदाग्राहीं के रूप में रजिस्ट्रीकरण है:

4 -	\sim	_	\sim		\sim
15.	निय	ोजन	का	अव	ाध:

16.पदनाम:

ठेकेदार की मोहर और हस्ताक्षर

*कृपया लागू न होने वाले को हटा दें।

प्ररुप IX

[भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 223(ग) के अंतर्गत]

चिकित्सा जांच प्रमाण-पत्र

1.	प्रमाण-पत्र क्रम संख्या	तारीख			
2.	नाम	·			
	पहचान चिन्ह	:(1)(2)			
	(i) यूएएन/आधार नं.	·			
	(ii) मोबाईल नं.	·			
3.	पिता/पति का नाम	·			
4.	स्त्री/पुरुष	·			
5.	जन्म की तारीख	:अथवा	आयु		
6.	शारीरिक योग्यता	·			
	मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने उपर्युत्त	त नाम के व्यक्ति, सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री	f	निवासी	को
निजी रूप	ा से जांच किया है जो कि भवन एवं सन <mark>्नि</mark>	मार्ण कार्य में नियोजित होने का इच्छुके है त	<mark>ा</mark> था उसकी उग	प्र मेरी जांच क <u>े</u>	
अनुसार	वर्ष सुनिश्चित किया जा र	तकता है तथा वह में वयस्क/किश्	ोर के रूप में	नियोजित होने हेत्	गु ठीक है।
8.	कारण –				
	(1) प्रमाण-पत्र की अस्वीकृति का				
	(2) प्रमाण-पत्र के प्रतिसंहरण का				
भवन क	र्मिकार का हस्ताक्षर/बांए हाथ के अंगूठे क	ा चिह्न	मोहर के सीमाओं का	साथ/चिकित्सा	निरीक्षक/

टिप्पण:-

- 1. शारीरिक नि:शक्तता के कारण ठीक ब्यौरे स्पष्ट बताना चाहिए।
- 2. कृत्यिक/उत्पादन नि:शक्तता कथन भी होना चाहिए यदि नि:शक्तता कथन है।

प्ररूप X

[अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम 1980 के नियम21(1) तथानियम 24 के अंतर्गत] अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 की धारा 12 की उपधारा (2) के नीचे विवरण के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम 1980 के नियम 21 के उपनियम (1) के अंतर्गत निर्धारितानुसार प्रवासी कर्मकारों की भर्ती तथा नियोजन और अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम 1980 के नियम 24 के अंतर्गत निर्धारितानुसार प्रवासी कर्मकारों के नियोजन पर उपकर लगाने संबंधी रिपोर्ट।

	2.7				
1	. ठकद	र	का	न	म

- 1क. ठेकेदार का एलआईएन/पैन सं.:
- 1ख. ठेकेदार की ई मेल आईडी:
- 1ग. ठेकेदार का मोबाइल नम्बर:
- 2. उप-ठेकेदार का नाम जिसके माध्यम से भर्ती की गई है
- 2क. उप-ठेकेदार का एलआईएन/पैन सं.:
- 2ख उप-ठेकेदार की ई मेल आईडी :
- 2ग. उप-ठेकेदार का मोबाइल नम्बर :
- 3. स्थापन का नाम
- 3क. स्थापन का एलआईएन/पैन सं.:
- 3ख. स्थापन की ई मेल आईडी:
- 3ग. स्थापन का मोबाइल नम्बर :
- 4. प्रधान नियोक्ता का नाम
- 4क प्रधान नियोक्ता का एलआईएन/पैन सं.:
- 4ख. प्रधान नियोक्ता की ई मेल आईडी:
- 4ग. प्रधान नियोक्ता का मोबाइल नम्बर:
- 5. राज्य का नाम जिसमें कार्य स्थल अवस्थित है।
- 6. राज्य का नाम जहां भर्ती की गई थी।

क्र.सं.	प्रवासी	ा कर्मकारों	के ब्यौरे	लिंग पुरुष/ महिला/अन्य	आयु	स्थायी घर का पता	प्रवासी कर्मकार के निकटतम परिजन का नाम और पता (मोबाइल सं. सहित)	गृह राज्य में आवास का स्थान और पता	भुगतान की गई विस्थापन भत्ता की राशि	भुगतान की गई बाहरी/वापसी यात्रा की राशि
1		2		3	4	5	6	7	8	9
	(क) नाम	(ख) यूएएन/ आधार नं.	(ग) मोबाइल सं.							

भुगतान की गई बाहरी / वापसी यात्रा अवधि हेतु	भुगतान की गई कुल मजदूरी	निष्पादित किए जाने वाले अपेक्षित कार्य की प्रकृति	भर्ती की तारीख	नियोजन की तारीख	मजदूरी की दरों और अन्य देय भत्तों काविवरण	मजदूर की दरों और अन्य भुगतान किए गए भत्तों का	रोजगार के ठेका और कुल कार्य किए गए दिनों की अवधि	अन्य सेवा शर्तों का ब्यौरा	टिप्पणियां
अवधि हेतु मजदूरी की राशि 10	11	प्रकृति	13	14	15	भत्तो का विवरण 16	अवधि 17	18	19

ठेकेदार का हस्ताक्षर और मोहर

तारीख:	
निम्नलिखित को जमा किया गया	
(1)	
(राज्य में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण जिनमें कर्मकार नियोजित है/हैं)।	
(2)	
(राज्य में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण जिनमें कर्मकार/ कर्मकारों की भर्ती की गई है)।	
प्रति अग्रेषित:	
(प्रधान नियोक्ता)	
	ठेकेदार का हस्ताक्षर और मोहर
प्ररुप XI	
[भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (कर्मकार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) केन्द्रीय	। । नियम, 1948 के नियम 210(70 और नियम 230 (क)

के अंतर्गत] <mark>अधिसूचित किए जा सकने वाले विष प्रभाव अथवा व्यवसायजनित रोगों/दुर्घटनाओं और जोखिमकारी धटनाओं की रिपोर्ट</mark> भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन-) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण

भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन-) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख :-

नियोक्ता का नाम :
 एलआईएन/पैन सं :

ई-मेल आई-डी :

4. मोबाइल सं. :

5. भवन कर्मकार का नाम :

6. एलआईएन/पैन सं :

7. ई-मेल आई-डी :

8. मोबाइल सं. :

भवन कर्मकार का पता :
 तिंग और आय् :

10. लिंग और आयु :11. पदनाम :

12. वैवाहिक परिस्थिति

भाग क- दुर्घटना और जोखिमकारी घटनाओं की रिपोर्ट

[भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन- केन्द्रीय (नियम, 1948 का नियम 210 (70)]:

1 दुर्घटना का विवरण

क. दुर्घटना घटने वाला निश्चित स्थान

ख.	तारीख	:		
ग.	समय	:		
घ.	दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति क्या कर रहा था	:		
퍟.	मौसम की दशा	:		
퍽.	इस विशेष कार्य हेतु आपके द्वारा कितने दिनों से			
	यह नियोजित थे	:		
छ.	उपकरण, मशीन/उपकरण के ब्यौरे और दुर्घटना घ	टर्न		
	के उपरांत इनकी स्थिति	:		
ज. -	दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण	:		
2	चोटों की प्रकृति			
क.	घातक	:		
ख.	गैर-घातक		:	
ग.	यदि गैर-घातक है तो चोटों की प्रकृति का ठीक-ठी	क		
	वर्णन करें (चोटों की प्रकृति की विस्तार पूर्वक			
	व्याख्या करें , उदाहरण स्वरुप दाहिने हाथ में			
	फ्रैक्चर, मोच आदि)।		:	
घ.	प्राथमिक चिकित्सा	:	दिया गया	नहीं दिया गया
ड.	यदि नहीं, तो कारण बताएं	:		
च.	प्राथमिक चिकित्सा दिए गए व्यक्ति का नाम और			
	पदनाम	:		
छ.	यदि अस्पताल में भर्ती किया गया है तो, अस्पताल	Γ		
	का नाम	:		
	अस्पताल का पता	:		
	डॉक्टर का नाम	:		
	दूरभाष संख्या	:		
3.	प्रयोग में लाए गए परिवहन के साधन: एंबुलेंस/ अ	न्य		
	कोई साधन (कृपया स्पष्ट करें)	:		
4.	घायल व्यक्ति को लाने में कि तना समय लगा था			
क.	यदि बहुत विलम्ब हुआ हो तो कारण बताएं		:	
ख.	किस प्रकार से रिपोर्ट की गई?			
	फोन/विशेष संवाहक पत्र/ई-मेल/एसएमएस		:	
ग.	दुर्घटना स्थल पर पहले कौन पहुंचा और उसके द्वा	रा		
	कौन सी कार्रवाई की गई	:		
घ.	नियोक्ता द्वारा दुर्घटना की छान-वीन हेतु कौन-कौ	न		
	सी कार्रवाई की गई?(लिए गए फोटोग्राफ/विडियो	Г		
	फिल्म/माप आदि के बारे में उल्लेख करें)।			

	साक्षी देने व	_	\sim	2
_	जाधा उन र	बाद्ध :	ज्ञास्त्रा र	स्य स्थापन
^	साजा ७० ५	जाल '	ouimui	anı ovculti

4.

 क.
 नाम
 पता
 व्यवसाय
 मोबाइल नं.

 1.

 2.

 3.

6 घातक के मामले में विथिष्टियां

तारीख / समय

क्या कर्मकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत है। यदि हां, तो बोर्ड की रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा नाम दें

7 विनियम सख्ंया के अंतर्गत शामिल खतरनाक घटनाएं (ब्यौरा दें)

- क लिफ्टिंग उपकरणों, होइस्ट्स कनवेयर्स इत्यादि का गिरना अथवा असफल होना।
- ख मिट्टी, किसी दीवार, फर्श, गैलरी इत्यादि का गिरना अथवा धंस
- ग ट्रांसमिशन टावर्स, पाइपलाइन, पुलों इत्यादि का गिरना
- घ रिसीवर, वेसल इत्यादि का विस्फोट
- ङ अग्नि और विस्फोट
- व जोखिमकारी पदार्थों की सीपेज एवं लीकेज
- छ परिवहन उपकरण का गिरना, कैप्सीजाइंग, टोपलिंग अथवा टकराव
- ज निर्माण स्थल पर हानिकारक जहरीली गैसों की लीकेज अथवा उत्सर्जन
- हा लिफ्टिंग उपकरण, लूज गियर, होइस्ट्स अथवा भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य मशीनरी, परिवहन उपकरण इत्यादि की असफलता

8 नियोक्ता अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्रमाण पत्र

भाग ख - अधिसूचना योग्य विष प्रभाव अथवा व्यावसायजनित रोग की रिपोर्ट :

[भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम 1998 का नियम 230(क)]

- सठीकता बताएं कि बीमारी के संपर्क में आने के समय मरीज क्या कर रहा था
- उहरीले पदार्थ अथवा बीमारी की प्रकृति जिससे भवन कर्मकार ग्रसित है

तारीख

चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर* नियोक्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

पदनाम

टिप्पण–जब कोई भवन कर्मकार अनूसूची XII में विनिर्दिष्ट किसी रोग से ग्रसित होता है, तो इस प्ररूप में उसका नोटिस महानिदेशक को भेजा जाएगा।

(*कृपया जो लागू न हो उसे काट दें)

सेवा में,

(भाग क के लिए)

- 1. निरीक्षक
- 2. बोर्ड
- 3. महानिदेशक
- 4. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 (1996 का 27) की धारा 39 के अंतर्गत प्राधिकारी

(भाग ख के लिए)

- 1. निरीक्षक
- 2. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड जिसमें कर्मकार फायदाग्राही के रूप में रजिस्ट्रीकृत है
- 3. महानिदेशक* (यदि चिकित्सा अधिकारी संबंधित भवन कर्मकार को देखता है)

टिप्पण: यदि एक से अधिक व्यक्ति शामिल हैं तो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूचना अलग अलग

नोट:

- 1. शारीरिक अक्षमता के कारण के सठीक ब्यौरे स्पष्ट लिखे जाने होंगे।
- 2. कार्यात्मक/उत्पादक क्षमताएं भी बतानी होंगी यदि अक्षमता बताई गई हो तो।

प्ररुप XII [ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 76 के अंतर्गत] नियोजन कार्ड

क. ठेकेदार का नाम :	पास्पोर्ट आकार फोटो
क1. ठेकेदार की लिन/पैन नं.:	
क2. ठेकेदार की ई-मेलआईडी:	
क3. ठेकेदार की मोबाईल नं.	
ख. कार्य की प्रकृति तथा प्रास्थिति:	
ग. प्रधान नियोक्ता का नाम:	
ग1. प्रधान नियोक्ता की लिन/पैन नं.:	
ग2. प्रधान नियोक्ता की ई-मेलआईडी:	
ग3. प्रधान नियोक्ता की मोबाईल नं.	
घ. कर्मकारों के नाम:	
घ1.यूएएन/आधार नं.:	
घ2.मोबाईल नं.:	

1.	नियोजित कर्मकारों की रजिस्ट्रीकरण में क्रम संख्या	
2.	पदनाम की प्रकृति	
3.	मजदूरी दर (एकक का ब्यौरा, उजरती कार्य के मामले में)	
4.	नियोजन के प्रारम्भ की तारीख	
5.	टिप्पणियां	
		ठेकेदार की मुहर और हस्ताक्षर
		[सं. यू-23013/06/2016-एलडब्ल्यू(ए)]
		राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव

टिप्पण:

- (1) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 191, तारीख 10 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से अधिसूचना सं. सा. का. नि. 154(अ), तारीख 21 फरवरी, 2017 द्वारा संशोधन किया गया।
- (2) अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनिमयन एवं सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1980 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 513(अ), तारीख 11 अगस्त, 1980 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से अधिसूचना सं. सा. का. नि. 154(अ), तारीख 21 फरवरी, 2017 द्वारा संशोधन किया गया।
- (3) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनिमयन एवं सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम 1998 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 689 (अ), तारीख 19 नवम्बर, 1998 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से अधिसूचना सं. सा. का. नि. 154(अ), तारीख 21 फरवरी, 2017 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2017.

G.S.R. 294(E).— Whereas, for the ease of, and for the expedient compliance of the requirements of certain labour related laws referred to herein and for the purpose of rationalisation of forms and reports so as to provide trust based efficient public service delivery, it has become essential to frame separate rules;

And whereas, the intention to provide for combined and simplified forms and reports is to sub-serve the purposes, electronically or otherwise, of the said labour related laws and the rules made thereunder, wherein provisions have been made for use of such forms and reports;

And whereas, the combined and simplified forms and reports provided under these rules will facilitate ease of compliance and inspection, being as simple as possible and making the information provided thereunder easily accessible to the public thereby increasing transparency;

And whereas, making separate rules for the aforementioned purpose will benefit making use of the forms and reports provided under different labour related laws simple, which will serve public purpose in a better way;

And whereas, to achieve the aforementioned purposes, the draft rules, namely, the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017 were published *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number G.S.R. 116(E), dated, the 9th February, 2017, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected

thereby on or before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 9th February, 2017:

And whereas, no objections and suggestions were received from public on the said draft rules;

Now, therefore, to achieve the aforementioned purposes, the Central Government, in exercise of the powers conferred by,-

- (a) section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970);
- (b) section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979); and
- (c) section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996), consultation with the expert committee;

read with Chapter III of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), hereby makes the following rules, namely:-

- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Maintenance of Forms under certain labour related laws.- (1) Notwithstanding anything contained in any rules made under -
 - (i) the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970);
 - (ii) the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979); and
 - (iii) the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996),

the Forms specified in the Schedule annexed to these rules shall be maintained either electronically or otherwise and used for the purposes of the aforesaid enactments and the rules made thereunder, as specified therein.

- (2) If the Forms referred to in sub-rule (1) are required for inspection by the concerned Inspector appointed under any of the enactments referred to in the said sub-rule, the concerned persons shall make available such Forms or provide the necessary particulars for the purposes of accessing the information, as the case may be.
- **3. Amendment of certain rules.-** The following rules shall be amended, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, in the manner specified below, namely:-
- (i) in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971,-
 - (A) in rule 18,-
 - (a) in sub-rule (1), for the words and figures "in Form II", the words and figures "in Form I annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2), in clause (a), the words "and address" shall be omitted;
 - (B) in rule 21,-
 - (a) in sub-rule (1), for the words and figures "in Form IV", the words and figures "in Form II annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2), for the words and figure "in Form V", the words and figures "in Form III annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
 - (C) in rule 24, in sub-rule (1A), for the words, figure and letter "in Form VA", the words and figures "in Form V annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
 - (D) in rule 25,-
 - (a) in sub-rule (1), for the words and figures "in Form VI", the words and figures "in Form VI annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2),-

- (I) in clause (iv), after the words "settlement or award", the words " or by the appropriate Government" shall be inserted;
- (II) in clause (viii), for the words, figures and letter "in Form VIA", the words and figures "in Form VII annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted:
- (E) in rule 29,in sub-rule (2), for the words and figures "in Form VII", the words and figures "in Form II annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (F) rule 32 shall be omitted;
- (G) in rule 76, in clause (i), for the words and figures "in Form XIV", the words and figures "in Form XII annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (H) in rule 77, for the words and figures "in Form XV", the words and figures "in Form VIII annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (I) in rule 81, in sub-rule (3), for the words, figures and letter "in Form VI B", the words and figures "in Form VII annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted; and
- (J) Forms II, IV, V, VA, VI, VIA, VIB, VII, VIII, IX, X, XI, XIV and Form XV shall be omitted;
- (ii) in the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980,-
- (A) in rule 4, in sub-rule (1), for the words and figures "in Form II", the words and figures "in Form I annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (B) in rule 7,-
 - (a) in sub-rule (1), for the words and figures "in Form IV", the words and figures "in Form II annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2), for the words and figure "in Form V", the words and figures "in Form II annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
 - (c) in sub-rule (3), in clause (i), for the words and figures "in Form IV", the words and figures "in Form III annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (C) in rule 10, in sub-rule (3), for the words and figures "in Form VII", the words and figures "in Form V annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (D) in rule 11,-
 - (a) in sub-rule (1), for the words and figures "in Form VIII", the words and figures "in Form VI annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2), in clause (v), after the words "settlement or award", the words " or by the appropriate Government" shall be inserted;
- (E) in rule 14,in sub-rule (2), for the words and figures "in Form IX", the words and figures "in Form II annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (F) in rule 21, in sub-rule (1), for the words and figure "in Form X", the words and figures "in Form X annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (G) in rule 24, for the words and figures "in Form XI", the words and figures "in Form X annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (H) in rule 50, for the words and figures "in Form XIV", the words and figures, "in Form VIII annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted; and
- (I) Forms II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI and Form XIV shall be omitted;
- (iii) in the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998,-
- (A) in rule 24, in sub-rule (1), for the words and figures "in Form II annexed to these rules", the words and figures "in Form I annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;

- (B) in rule 26, in sub-rule (3), for the words and figures "in Form IV annexed to these rules", the words and figures "in Form VII annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (C) in rule 74, in sub-rule (b),-
 - (a) in clause (i),-
 - (I) in sub-clause (a), for the words and figure "in Form V annexed to these rules", the words and figures "in Form IV annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
 - (II) in sub-clause (b), for the words and figures "in Form VI annexed to these rules", the words and figures "in Form IV annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted:
 - (b) in clause (ii), for the words and figures "in Form VII annexed to these rules", the words and figures "in Form IV annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
 - (c) in clause (iii), for the words and figures "in Form VIII annexed to these rules", the words and figures "in Form IV annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
 - (d) in clause (iv), for the words and figures "in Form IX annexed to these rules", the words and figures "in Form IV annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (D) in rule 210, in sub-rule (7), for the words and figures "in Form XIV", the words and figures "in Form XI annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (E) in rule 223, in clause (c), for the words and figures "in Form XI annexed to these rules", the words and figures "in Form IX annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (F) in rule 230, in clause (a), for the words and figures "in Form XIII annexed to these rules", the words and figures "in Form XI annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted:
- (G) in rule 239, in sub-rule (1), for the words and figures "in Form IV annexed to these rules", the words and figures "in Form VII annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted:
- (H) in rule 241, in sub-rule (2), in clause (b), for the words and figures "in Form XXIV annexed to these rules", the words and figures "in Form VIII annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted; and
- (I) Forms II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV and Form XXIV shall be omitted.

SCHEDULE

[See rule 2(1)]

FORM I

[Under rule 18(1) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971;

rule 24(1) of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998; and rule 4(1) of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980]

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF PRINCIPAL EMPLOYER/EMPLOYER*

Date.											

Government of India

Office of the Registering Officer

A Certificate of Registration containing the following particulars is hereby granted under sub-section (2) of section 7 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) */sub-section (3) of section 7 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996)*/clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation

- of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979)* and the rule made there under to.....
- 1. Nature of work carried on in the establishment of the Principal Employer.
- 2. Names of Contractors.*
- 3. LIN/PAN No. of contractors *
- 4. Email Id of contractors *
- 5. Mobile No. of contractors *
- 6. Nature of work of the contractor/employer* in which workman/building and other construction (BOC) worker* is employed or is to be employed.
- 7. Maximum number of building and other construction (BOC) workers to be employed by the employer under the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996)/workmen to be employed through each contractor under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) or under the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979)* on any day.

Signature of the Registering Officer with Seal.

* Please strike off whichever is not applicable.

FORM II

[Under rule 21(1) and rule 29(2) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971; and rule 7(1), rule 7(2) and

rule 14(2) of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980]

Application for Licence/Renewal of Licence under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970)/ the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979)*:

A. Details of the contractor

- 1. Name of the contractor:
- 2. LIN/PAN No. of the contractor:
- 3. Email Id of the contractor:
- 4. Mobile No. of the contractor:

B. Details to be filled only in case of application for licence*

Particulars of Establishment where workman is to be employed-

- (a) Name of the Principal Employer:
- (b) Number and date of Certificate of Registration of the Establishment under the Act:

Particulars of Contract Labour-

- (a) Nature of work in which workman is employed or is to be employed in the Establishment:
- (b) Duration of the proposed contract work (please give particulars of proposed date of commencement and completion):
- (c) Name and address of the Agent or Manager of Contractor at the work-site;
- (d) Maximum number of workmen proposed to be employed on the Establishment on any date:
- (e) Whether a certificate by the Principal Employer, in Form III is enclosed:
 - C. Details to be filled only in case of application for renewal of licence*
- (a) Number and date of the licence:
- (b) Date of expiry of the licence:

D. Details of licence fee and security deposit

- (a) Amount of licence fee, name of the Bank, demand draft No. and date / transaction no. and date in case the amount has been deposited in the notified bank account
- (b) Amount of security deposit, name of the Bank, demand draft No. and date / transaction no. and date in case the amount has been deposited in the notified bank account

Signature of the Applicant (Contractor)

Place

Date

* Please strike off whichever is not applicable.

(To be filled in the office of the Licensing Officer)

Date of receipt of the application with DDfor fees/Security Deposit

Signature of the Licensing Officer

FORM III

[Under rule 21(2) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971; and

rule 7(3) of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980]

Form of Certificate by Principal Employer

Certified that:

Place:

Date:

- 1. I have engaged the applicant (name of the contractor) as a contractor in my establishment for the work_______ to be carried out from ______(date) to _____(date).
- 2. I undertake to be bound by all the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971*/ the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979) and the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980* in so far as the provisions are applicable to me in respect of the employment of contract labour/inter-state migrant workmen* by the applicant in my establishment.
- 3. The engagement of contract labour in the said work is not prohibited under sub section(1) of section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) or an award or a settlement.*

*Please strike off whichever is not applicable.

Signature of Principal Employer

Name and address of the establishment

FORM – IV

[Under rule 56, rule 62, rule 69, rule 70, rule 72, rule 73, rule 74(b) and Schedule I of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998]

CERTIFICATE OF INTIAL AND PERIODICAL TEST AND EXAMINATION OF VARIOUS APPLIANCES

(Please fill particulars as applicable)

- 1. Location of work
- 2. Registration number and date in respect of building and other construction work

				_					. 1
Sl. No.	Appliance Category	Test Certificate No. and date of test	Situation and description with distinguishing number or	Parameters of test an examination *		Safe work load as per Parameters in column 3 (Tonnes)	Specific Details	Name and address of public service, association,	Name and position of the competent person of public service
			marks					company, or firm or testing establishmen t making the	association, company or firm or testing establishment
								test and examination	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Winches, Derricks and their				(in tonnes)				
	Accessory Gear				tomes)				
	(Lifting appliance and Gear) [rule 56,								
	rule 74 (b) and								
	Schedule I of the								
	Building and Other								
	Construction								
	Workers' (Regulation of								
	Employment and								
	Conditions of Service) Central								
	Rules, 1998]								
2	Cranes or Hoists and their				(in metres)				
	Accessory Gear				metres)				
	[rules 56 and 74 (b) of the Building								
	and Other								
	Construction Workers'								
	(Regulation of								
	Employment and Conditions of								
	Service) Central								
3	Rules, 1998] Loose Gear (also,				(in		(name		
	Initial test and examination				tonnes)		and address		
	certificate No. and						of		
	date to be indicated, in case						Manufact urer or		
	of periodical test)						supplier)		
	[rules 70 and 74(b) of the Building								
	and Other								
	Construction Workers'								
	(Regulation of								
	Employment and Conditions of								
	Service) Central								
4	Rules, 1998] Wire Rope [rules		(name and				(Quality		
	71 and 74 (b) of		address of				of wire		
	the Building and Other		maker or supplier)				and intended		
	Construction		11 ' /				use of		
	Workers' (Regulation of						wire rope)		
	Employment and						1.7		
	Conditions of Service) Central								
	Rules, 1998]						(D. C.		
5	Annealing of Loose Gears						(Defects found at		
	[rules 72 and 74						inspectio		
	(b) of the Building and Other						n after annealing		
	Construction)		
	Workers'								

	(Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998]				
6	Loose Gears exempted from Annealing [rules 69 and 73 of the			 (Remarks	
	Building and Other Construction Workers'				
	(Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998]				

^{*} Specific parameters related to the category mentioned in col. (2) above are as indicated here below against their serial number:-

Sl.No. Parameters

- 1. Angle to the horizontal of derrick boom at which test load applied.
- 2. For jib cranes-radius at which the test load was applied.
- 3. Number and material of loose gears tested.
- 4. (a) Circumference/diameter of rope (b) Number of strand (c) Number of wire per strand (d) Lay (e) Core.
- 5. Number of loose gears annealed with date of annealing.
- 6. Number of certificate of initial and periodical test and examination.

I certify that	the above par	ticulars relatii	ng to serial nu	mber	are co	rrect, and tha	at the test and	examination
were carried	out in my pre	sence and no	defects affecti	ng safe work	ing condition	n were found	other than the	ose indicated
above.								

Signature of Competent Person with seal
Registration/ Authority number of the Competent Person.

Date.....

FORM V

[Under rule 24(1-A) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971; and rule 10(3) of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980]

Application for Adjustment of Security Deposit

- 1. Name of the contractor:
- 2. LIN/PAN No. of the contractor:
- 3. Email Id of the contractor:
- 4. Mobile No. of the contractor:
- 5. Name of the principal employer:
- 6. LIN/PAN No. of the Principal Employer:
- 7. Email Id of the Principal Employer:
- 8. Mobile No. of the Principal Employer:
- 9. Details of security deposit:

No. and date of licence	Date of expiry of previous licence	Whether the previous licence of the contractor was suspended or revoked	Amount of previous security deposit	Amount,number and date of demand draft / transaction slip of the balance security deposit deposited if any	No. and date of certificate of registration of the establishment in relation to which the fresh licence is applied for	Name and location of fresh contract work
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

P	ace.	

Date:

Seal & Signature of the Applicant

FORM VI

[Under rule 25(1) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971; and rule 11(1) of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980]

Government of India Office of the Licensing Officer LICENCE

	LICENCE		
Lice	ence No.	Dated	Fee paid Rs
1.	Licence is hereby granted to	ub-section (1) or	f section 8 of the Inter State
2.	Name and location of work		
3.	Name of the principal employer.		
4.	Registration Certificate no. and date of the principal employer.		
5.	The licence shall remain in force till(date to be indi	cated)].	
6.	Maximum number of contract labour/migrant workmen to be employed	on a single day	under the licence :
Date	2		
	RENEWAL	Signature and S	eal of the Licensing Officer
ſŪ	Inder Rule 29 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central	Rules, 1971: and	I rule 14 of the Inter-State

[Under Rule 29 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971; and rule 14 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980]

Date of Renewal Fee paid for renewal Date of Expiry Seal and Signature of the Licensing Officer

1.

2.

3.

ANNEXURE

The licence is subject to the following conditions:

- 1. The licence shall be non-transferable.
- 2. The number of workmen employed as contract labour/migrant workmen in the establishment shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the licence.

^{*} Please strike off whichever is not applicable.

- 3. Except as provided in the rules, the fees paid for the grant or, as the case may be, for renewal of the licence shall be non-refundable.
- 4. The rates of wages payable to the workmen by the contractor shall not be less than the rates prescribed for the Scheduled Employment under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), where applicable, and where the rates have been fixed by agreement, settlement, award, or by the appropriate Government, not less than the rates so fixed
- 5.(a) In case where the workmen employed by the contractor perform the same or similar kind of work as the workmen directly employed by the principal employer of the establishment, the wage rates, holidays, hours of work and other conditions of service of the workmen of the contractor shall be the same as applicable to the workmen directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work; provided that in the case of any disagreement with regard to the type of work the same shall be decided by the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) whose decision shall be final.
- (b) In other cases the wage rates, holidays, hours of work and conditions of service of the workmen of the contractor shall be such as may be specified in this behalf by the Deputy Chief Labour Commissioner (Central).
- 6. Every contract labour/migrant worker shall be entitled to allowances, benefits, facilities etc, as prescribed in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) or the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979) and rules made there under.
- 7. In every establishment where 20 or more women are ordinarily employed as there shall be provided 2 rooms of reasonable dimension for the use of their children under the age of six years. One of such rooms would be used as a play room for the children and the other as bed room for the children. For this purpose the contractor shall supply adequate number of toys and games in the play room and sufficient number of cots and beddings in the sleeping room. The standard of construction and maintenance of the crèches may be such as may be specified in this behalf by the Deputy Chief Labour Commissioner (Central).
- 8. No women shall be employed by any contractor before 6 a.m. or after 7 p.m.:
 - Provided that this clause shall not apply to the employment of women in pit head baths, crèches and canteens and as mid-wives and nurses in hospitals and dispensaries.
- 9. The licensee shall notify any change in the number of workmen or the conditions of work to the Licensing Officer.
- 10. A copy of the licence shall be displayed prominently at the premises where the contract work is being carried on.
- 11. The contractor shall comply with all the provisions of the Act and these Rules.
- 12. The licensee shall, within fifteen days of the commencement and completion of each contract work, submit a return to the Inspector appointed under section 28 of the the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) intimating the actual date of the commencement or, as the case may be, completion of such contract work in Form VII.

FORM VII

[Under rule 25(2)(viii) and rule 81(3) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules,1971; and rule 26(3) and 239(1) of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998]

Notice of commencement/completion of work

- (1) Name of the principal employer under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970)/Employer under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996)*
- (2) LIN/Pan No.
- (3) Email Id
- (4) Mobile No.
- (5) Name of the contractor under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) (if applicable)
- (6) LIN/Pan No.

_	[भाग	II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	29				
	(7)	Email Id						
	(8)	Mobile No.						
	(9)	No. and date of Certificate of Registrat	ion/Licence *	••				
	(10)	Name of person in-charge of the work						
		LIN/Pan No. of person in-charge of wo						
		Email Id of person in-charge of work						
		Mobile No. of person in-charge of work	k					
		•	cilities, including any plant and machinery provi	ided in the case of a building				
	(15)	The arrangements for the storage of exp	plosives, if any, to be used in the building or other	er construction work				
			ork (Name of work) given to (name of the common dated]* has been/is date).					
			Signature of the Principal Emp	oloyer/Contractor/Employer*				
	To	The Inspector						
		The Inspector						
		* Please strike off whichever is not	applicable.					
			FORM VIII					
	and	Other Construction Workers' (Regulation	gulation and Abolition) Central Rules,1971; rule on of Employment and Conditions of Service) Ce egulation of Employment and Conditions of Serv	entral Rules, 1998; and rule				
			Service Certificate					
	1. Na	nme of contractor/employer *:						
	2. LI	N/PAN No. of the contractor/employer	*:					
	3. En	nail Id of the contractor /employer *:						
	4. Me	obile No. of the contractor/employer *:						
	5. Na	ature and location of work:						
	6. Na	6. Name of Principal Employer *:						
		N/PAN No. of the Principal Employer :	*					
	8. En	nail Id of the Principal Employer: *						
	9. M	obile No. of the Principal Employer: *						

- 10. Name of the workman or building and other construction worker*:
- 12. Mobile No.:
- 13. Serial Number in the Register of Workmen :
- 14. Registration number, date and name of the Board if the building and other construction worker is registered as a beneficiary:
- 15. Period of Employment :

11. UAN / Aadhaar No.:

16. Designation:

Seal and Signature of Contractor

^{*} Please strike off whichever is not applicable.

FORM IX

[Under rule 223(C) of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998]

CERTIFICATE OF MEDICAL EXAMINATION

1.	Certificate Serial No	Date
2.	Name	:
	Identification marks	: (1) (2)
(i)	UAN/Aadhaar No.	:
(ii)	Mobile no.	:
3. 4. 5. 6.	Name of father/husband. Sex Date of birth Physical Fitness	:
his/her	residing at	I have personally examined the above named person, son/daughter/winwho is desirous of being employed in building and construction work and the trained from my examination isyear and that he/she is fit for employment.
8.	* *	d
Signatu	re/Left hand Thumb	Signature with Sea
impress	sion of building worker	Medical Inspector/C.M.O.

Note:

- 1. Exact details of cause of physical disability should be clearly stated.
- 2. functional/productive abilities should also be stated if disability is stated.

FORM X

[Under rule 21(1) and rule 24 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980]

[Report on recruitment and employment of migrant workmen as prescribed under sub-rule (1) of rule 21 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980, and cessation of employment of migrant workmen as prescribed under rule 24 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980, to the authorities specified under the explanation below sub-section (2) of section 12 of Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979.]

- Name of the contractor.
 - 1A. LIN/PAN No. of the contractor:
 - 1B. Email Id of the contractor:
 - 1C. Mobile No. of the contractor:
- 2. Name of the sub-contractor through whom recruitment has been made.
 - 2A. LIN/PAN No. of the sub-contractor:
 - 2B. Email Id of the sub-contractor:
 - 2C. Mobile No. of the sub-contractor:

- 3. Name of the establishment.
 - 3A. LIN/PAN No. of the establishment:
 - 3B. Email Id of the establishment:
 - 3C. Mobile No. of the establishment:
- 4. Name of the Principal Employer.
 - 4A. LIN/PAN No. of the Principal Employer:
 - 4B. Email Id of the Principal Employer:
 - 4C. Mobile No. of the Principal Employer:
- 5. Name of the State in which the place of work is located.
- 6. Name of the State in which recruitment was made.

Serial Number	Details	of migrant workm	nan	Sex.M/F/O	Age	Permanent home address	Name and address (including Mobile No.) of the next of kin of the migrant workman	Place and address of residence in the home State	Amount of displacement allowance paid.	Amount of outward/ return journey allowance paid
1	(a) Name	2 (b) UAN/Aadhaar No.	(c) Mobile No.	3	4	5	6	7	8	9

Amount	Total	Nature of	Date of	Date of	Details of	Details of	Period of	Details	Remarks
of wages	wages	work	recruitment	employment	rates of	rates of	contract of	of other	
for	paid	required to			wages and	wages and	employmentand	service	
outward/		be			other	other	total days	conditions	
return		performed			allowances	allowances	worked		
journey					payable	paid			
period									
paid.									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1								

Seal & Signature of Contractor

Submitted to
(1)
(Specified authority in the State from which the migrant workman/workmen is/are employed).
(2)
(Specified authority in the State in which migrant workman/workmen has/have been recruited.)
Copy forwarded to
(The Principal Employer)

1.

FORM XI

[Under rule 210(7) and rule 230(a) of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998]

REPORT OF POISONING OR OCCUPATIONAL NOTIFIABLE DISEASES/ ACCIDENTS AND DANGEROUS OCCURRENCES*

No. and date of Registration Certificate under the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996):-

1.	Name of the employer	:
2.	LIN/PAN No.	:
3.	Email id	:
4.	Mobile No.	:
5.	Name of the building worker	:
6.	LIN/PAN No.	:
7.	Email id	:
8.	Mobile No.	:
9.	Address of the building worker	:
10.	Sex and Age	:
11.	Designation	:
12.	Marital status	:

Particulars of accident

PART A -REPORT OF ACCIDENTS AND DANGEROUS OCCURRENCES

[Rule 210(7) of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998]:

:

	a.	Exact place where accident occurred	:		
	b.	Date	:		
	c.	Time	:		
	d.	What the injured person was doing at the time of accident	:		
	e.	Weather condition	:		
	f.	How long employed by you for this particular job	:		
	g	Particulars of equipment/machine/ tool involved and condition of the same after the accident occurred.	:		
	h.	Brief description of the accident	:		
2		Nature of injuries.	:		
	a.	Fatal	:		
	b.	Non-fatal	:		
	c.	If non-fatal, state precisely the nature of injuries(describe in detail the nature of injury, for instance fracture of right arm, sprain etc.)	:		
	d.	First Aid:	:	Given	Not given
	e.	If not, give the reasons	:		
	f.	Name and designation of the person by whom first-aid was given	:		

	g.	If admitted to hospital, name of the hospital	:	
		Address of the hospital	:	
		Name of the Doctor.	:	
		Phone No.	:	
3		Mode of transport used Ambulance/ any o mode (please specify)	ther :	
4		How much time was taken to shift the injuperson	red :	
	a.	If very late, state the reasons	:	
	b.	How the reporting was made? Phone / Special messenger letter/email/SMS	:	
	c.	Who visited the accident site first and what action was proposed by him?	:	
	d.	What are the actions taken for the investigation of the accident by the employer? (describe all photographs/ Video film/ measurements take etc.)	bout	
5		Particulars of persons giving witness.		
	a.	<u>Name</u> <u>Address</u>	Occupation	<u>Mobile No.</u>
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
6		Particulars in case of fatal	:	
		Date/Time	:	
		Whether worker registered with Building and Construction Workers' Welfare Board. If yes Registration Number & name of the Board		
7		Dangerous Occurrences as covered under Regulation No. (Give details)	the :	
	a.	Collapse or failure of lifting appliances, hoist conveyors, etc.	:	
	b.	Collapse or subsidence of soil, any wall, floo gallery etc.	r, :	
	c.	Collapse of transmission towers, pipeline, briefc.	dges, :	
	d.	Explosion of receiver, vessel, etc.	:	
	e	Fire and explosion	:	
	f	Spillage or leakage of hazardous substances	:	
	g	Collapse, capsizing, toppling or collision of transport equipment	:	
	h	Leakage or release of harmful toxic gases at construction site.	the :	
	i.	Failure of lifting appliance, loose gear, hoist building and other construction work machin transport equipment, etc.		
8		Certificate from the Employer or authoriz signatory.	ed :	

PART B – REPORT OF POISONING OR OCCUPATIONAL NOTIFIABLE DISEASE:

[Rule 230(a) of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998]

1.	State exactly what the patient was doing at the time of	:
	contracting the disease	

2. Nature of poisoning or disease from which the building worker is suffering

Date:

Sign.of the MO*

Seal and Signature of the employer Designation

Note: When a building worker contracts any disease specified in Schedule XII, a notice in this form shall be sent forthwith to the Director General.

(*Please strike off where not applicable)

To,

(FOR PART A)

- The Inspector
- The Board
- The Director General
- 8. The Authority under section 39 of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996)

(FOR PART B)

- 4. The Inspector
- 5. The Building and Other Construction Workers Welfare Board with which the worker is registered as a beneficiary.
- 6. The Director General* (In case the medical officer attends on the concerned building worker)

Note: If more than one person is involved, then for each person, information is to be filled up in separate forms.

FORM XII

[Under rule 76 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971]

Employment Card

A. Name Contractor:	
A1. LIN/PAN No. of the contractor:	
A2. Email Id of the contractor:	
A3. Mobile No. of the contractor:	Passposrt Size
	Photo
B. Nature and location of work:	

- C. Name of Principal Employer :
- C1. LIN/PAN No. of the Principal employer:
- C2. Email Id of the Principal employer:
- C3. Mobile No. of the Principal employer:

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 35

D.	Name of workmen:	
D1.	UAN/Aadhaar No.:	
D2.	Mobile No.:	
1.	Serial number in the register of workmen employed	
2.	Nature of Designation	
3.	Wages rate (with particulars of unit, in case of piece-work)	
4.	Date of commencement of employment	
5.	Remarks	

Seal and Signature of Contractor

[F. No. U-23013/06/2016-LW(A)]

RAJIT PUNHANI, Director General (Labour Welfare) and Jt. Secy.

Note:

- (1) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 191, dated the 10th February,1971 and lastly amended vide notification number G.S.R. 154(E), dated the 21st February, 2017;
- (2) The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 513(E), dated 11.08.1980 and lastly amended vide notification number G.S.R. 154(E), dated the 21st February, 2017;
- (3) The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 689(E), dated 19.11.1998 and lastly amended vide notification number G.S.R. 154(E), dated the 21st February, 2017.